न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 44/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

प्रेमचन्द जैन, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जोन–भरतपुर। हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधौपुर।

आवेदक

बनाम

महेश चन्द पुत्र श्री छिद्दालाल उम्र 66 वर्ष जाति वैश्य–एफबीओ व मालिक–फर्म–जय बजरंग प्रोवीजन स्टोर, ग्रामीण हाट के सामने मैन रोड सुरजपोल जिला भरतपुर निवासी ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर राज0।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

उपस्थितः–

1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 07.02.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ. एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 27.09.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल मय वकील दिनांक 09.01.2020 को उपस्थिति हुये। इस्तगासा की नकल वकील गैरसायल को दी गई। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। नियत दिनांक 07.02.2020 को गैरसायल को

इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 28.02.2018 को प्रातः 10.00 बजे गैरसायल की फर्म जय बजरंग प्रोवीजन स्टोर ग्रामीण हाट के सामने मैन रोड सूरजपोल भरतपुर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण फर्म– जय बजरंग प्रोवीजन स्टोर पर खाद्य वस्तु लाल मिर्च पाउडर पैक बिना लेवल के 30 पैकिट 500–500 ग्राम फर्नीचर में रखा हुआ था, जिसका विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था, जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर लाल मिर्च पाउडर बिना लेवल के चार पैकिट 320/–रूपये में क्रय किये गये तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जोन–भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./249/एक्ट/2018/268 दिनांक 26.03.2018 द्वारा उक्त लाल मिर्च पाउडर का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) of FSSA 2006, It is Contravention to the regulation No. 2.2.1 & 2.2.2 of Fs&s (Packaging & Labelling) Regulation 2011 का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में उक्त नमूना मात्र मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। जिसे गैरसायल स्वीकार करते है। जिसका गैरसायल ने सुधार कर लिया गया है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है। गैरसायल लाल मिर्च को पिसवाकर बेचता चला आ रहा है। गैरसायल की यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करते है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल ने प्रथम गलती होना वक्त सुनवाई जाहिर किया। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 28.02.2018 को गैरसायल की फर्म जय बजरंग प्रोवीजन स्टोर, ग्रामीण हाट के सामने मैन रोड सूरजपोल से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया, जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2018 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। गैरसायल ने जाहिर किया कि लाल मिर्च को पिसवाकर बेचता चला आ रहा है।

गैरसायल द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल ने (Misbranded) लाल मिर्च का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) of FSSA 2006, It is Contravention to the regulation No. 2.2.1 & 2.2.2 of Fs&s (Packaging & Labelling) Regulation 2011 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल को 8000/– रूपये (आठ हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 07.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर